राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)चिस्वा/2/2020 जयपुर, दिनांक : 07.08.2020

समस्त जिला कलेक्टर

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय– निजी चिकित्सालयों को कोविड–19 के उपचार के लिए अधिकृत किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प. 1(1)चिस्वा/ ग्रुप–2/2020 दिनांक 05.04.2020 के द्वारा कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य के 55 सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सालय कोविड–19 के संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए पूर्णतः समर्पित (Fully Dedicated) अस्पताल अधिसूचित किये गये हैं।

कोविड–19 से संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं साथ ही प्रदेश स्तर पर जन सामान्य द्वारा उक्त 55 पूर्णतः समर्पित चिकित्सालयों के अतिरिक्त गैर सरकारी चिकित्सालयों में भी इलाज की मांग के मद्देनजर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं से युक्त एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी चिकित्सालयों को कोविड–19 के उपचार हेतु उनके व्यावसायिक, सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए चिह्नित व प्रोत्साहित करें। कोविड–19 के उपचार की सुविधा आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन होने के कारण उक्त योजना से सम्बद्ध एवं अन्य बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं से युक्त एवं प्रतिष्ठित निजी चिकित्सालयों से कोविड–19 के उपचार हेतु आवश्यक सहमति प्राप्त करें ताकि उन्हें कोविड–19 की चिकित्सा एवं सुश्रूषा के लिए अनुमत किया जा सके।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव